रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 1974/आषाढ़ 7, 1896
No. 286] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 1974/ASADHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 28th June 1974

S.O. 394(E).—Whereas, in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the Community;

And whereas, any strike in the warehouses, offices and other establishments of the Central Warehousnig Corporation would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the warehouses, offices and other establishments of the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules 1971 and in partial modification of the order of the Government of India, in Ministry of the Labour No. S. O. 325 (E), dated the 25th May, 1974, the Central Government hereby prohibits with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the warehouses, offices and other establishments of the Central warehousing Corporation wherever situated for a period of six months.

[No. F. S-42025/7/74-LR. I]

N. P. DUBE Add. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

का० आ० 394(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यत: केन्द्रीय संग्रहागार निगम के संग्रहागारों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त निगम के संग्रहागारों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 325(ड०), दिनांक 25 मई, 1974 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहीं भी स्थित संग्रहागारों, कार्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी भी हड़ताल को तत्काल प्रभाव से छ: माह की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[फा० सं० एस–42042/7/74–एल०आर०–1]

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974